किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ
निर्माण विभाग

क्रमांक......1299/उ-10 दिनांक 11/07/17

कार्यालय आदेश

निर्माण विभाग (सिविल सेक्शन) किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ मे निर्माण/अनुरक्षण कार्यों हेतु अलग-अलग क्लास मे ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नोटिस संख्या 70/जी0ए0 एवं सम्पत्ति अनुभाग/2016 दिनांक 02.09.2016 दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित करायी गयी थी तथा इसी सम्बन्ध मे पत्रांक 71/जी0ए0 दिनांक 02.09.2016 नोटिस जारी हुयी थी। उक्त क्रम मे ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। आवेदन पत्रों के परीक्षण एवं समस्त प्रक्रिया आदि हेतु मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक मे सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की औपचारिकतायें निम्नलिखित चेक लिस्ट के अनुसार पूरी करा ली जाये :-

A. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
B. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
C. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नं0 की सत्यापित प्रति।
D. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की सत्यापित प्रति।
E. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पास-पोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ।
F. आई0डी0 प्रूफ (आधार कार्ड/वोटर आई0डी0/पासपोर्ट) की सत्यापित प्रति।
G. बैंक की शाखा का नाम तथा करेन्ट एकाउन्ट नम्बर की सत्यापित प्रति।
H. किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी विभाग/निगम का होना चाहिए।
I. फर्म अथवा कम्पनी (प्रा0लि0) होने की दशा मे
   A. यदि फर्म है तो क्या फर्म रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसाइटीज मे पंजीकृत है और नियमानुसार पार्टनरशिप डीड या पॉवर ऑफ एटार्नी प्रस्तुत की गयी है।
   B. यदि कम्पनी (प्रा0लि0) है तो क्या रजिस्ट्रार कम्पनीज से पंजीकृत है तथा मेमोरन्डम आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की प्रति एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षित (Audited) अन्तिम वर्ष सहित विगत 3 वर्ष की बैलेन्स शीट नियमानुसार प्रस्तुत की गयी है।
J. संलग्न ग्रारूप के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।
K. निर्धारित शपथ पत्र के अतिरिक्त सभी श्रेणी के ठेकेदारों से निम्न बिन्दुओं के संदर्भ मे भी शपथ पत्र देना होगा।
   A. फर्म के पार्टनर/प्रोपराइटर होने का शपथ पत्र।
   B. ठेकेदार, फर्म को काली सूची मे नही डाला गया है का शपथ पत्र।
   C. ठेकेदार फर्म के ऊपर किसी विभाग का बकाया नही है का शपथ पत्र।
   D. ठेकेदार फर्म के किसी पार्टनर/प्रोपराइटर/निदेशक को न्यायालय द्वारा दण्डित नही किया गया है का शपथ पत्र।
   E. ठेकेदार फर्म के प्रोपराइटर किसी पार्टनर/निदेशक को सामूहिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से किसी काली सूची मे नही डाला गया है, का शपथ पत्र।
L. पंजीकरण/नवीनीकरण आवेदन फार्म शुल्क रू0 1000.00 तथा पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क श्रेणी-सी के लिए रू0 7000/- (नॉन रिफण्डेबुल) श्रेणी -डी के लिए रू0 5000.00 (नॉन रिफण्डेबुल) तथा श्रेणी-ई के लिए रू0 2000.00 (नॉन रिफण्डेबुल) है।